

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर०ए०एस०

प्रस्तावना बायो डे सन अभियान-2021

मा संख्या : 207/2021 उपपत्र

श्रीमति लालदेवी पत्नी श्रीम राज सुन्दर सिंह गोरखवा - 550 श्रीम - करेडा प्रार्थी.....

बनाम

श्रीम श्रीम लालदेवी पत्नी सिंह गोरखवा - 550 श्रीम - करेडा विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश :: दिनांक 26/11/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत निवेदन किया कि ग्राम गोरखवा पटवार हल्का गोरखवा तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त की खाता संख्या 98 आराजी नम्बर 2043 2044 2045 4549/2046 0.0379 / 0.0379 / 0.1265 / 0.5059 /

कुल किता 4 रकबा 0.7082

यस भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने गये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 26/11/21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी ने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी का अदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 ब्लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गोरखवा पटवार हल्का गोरखवा तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या आराजी नम्बर 2043 2044 2045 4549/2046 0.0379 / 0.0379 / 0.1265 / 0.5059 /

कुल किता 4 रकबा 0.7082

हैक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-लेख निरीक्षक गोरखवा को 550/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर रगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

ग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

प्रस्तावना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला भीलवाडा

तल्लिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

प्रस्तावना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला भीलवाडा